

अतः न्यायालय आदेश दिनांक 12.07.2022 को
दिये गये अन्तरिम टी0आई0 आदेश में भूमि
खसरा नं0 255 रकबा 2.11 है0, खसरा नं0 274
रकबा 1.02 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 3.13
है0 में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथारिथिति
बनाये रखने हेतु तादौराने दावा टी0आई0
confirm की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम
की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ0 नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

चिडवावा

उपखण्ड अधिकारी चिडवावा